Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA

[L.D. Appeal Case No.-20/2022]

Subhash Chandra Prasad.....Appellants.

Versus

Prem Chand Mehta.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4

17.4.2026

आदेश

यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा बी.एल.डी.आर. वाद संख्या-01/2020-21 में दिनांक-07.9.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है।

प्रश्नगत भूमि का विवरणी निम्नानुसार है :-

अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
रानीगंज	पहुंसरा/70	1028	41/917	15 डी.

दिनांक 08.4.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। Petitioner का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। विपक्षी द्वारा Written Note of Argument दाखिल है।

अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन सहित अन्य जमीन (कुल रकवा-3.30 एकड़) उनके एवं विपक्षी के पिता/दादा को बर्मा शरणार्थी रहने के आलोक में सरकार से पर्चा के माध्यम से प्राप्त हुआ। तथा यह कि उनके दादा के मृत्यु के उपरान्त विपक्षी के द्वारा अवैध रूप से उनके 15 डी. जमीन पर कब्जा किया गया है। उनका कहना है कि विपक्षी के द्वारा बंटवारानामा दिनांक-23.12.2014 के आधार पर प्रश्नगत जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। तथा यह कि निम्न न्यायालय के स्तर से पक्षकार के दोषग्रसित होने के आधार पर वाद को खारित कर दिया गया। जो गलत है। अपीलार्थी की ओर से निम्न न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी के अवैध कब्जा को मुक्त कराने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी का कहना है कि उभय पक्ष के दादा शिव दयाल मेहता की मृत्यु के पश्चात दोनों पक्ष संयुक्त रूप से उनके दादा की जमीन पर दखलकार हुए। तथा यह कि उभय पक्ष के बीच आपसी पंचनामा बंटवारा के आधार पर दोनों पक्ष 45-45 डी. जमीन पर अपना-अपना घर बनाकर वास कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि अपीलार्थी के द्वारा उनके हिस्से व दखल में निर्मित घर-मकान पर नाजायज रूप से दावा किया जा रहा है। साथ ही अंचल अमीन के रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि दोनों पक्ष अपने-अपने हिस्से पर दखलकार हैं। उनका यह भी कहना है कि अंचल अमीन के प्रतिवेदन के आधार पर उनके पक्ष में नामान्तरण वाद सं.-1119/2016-17 में दिनांक-18.10.2016 के पारित आदेश के आलोक में जमाबंदी कायम कर अद्यतन सरकार को लगान दिया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि अपीलार्थी के पिता के द्वारा उक्त जमीन को लेकर उनके विरूद्ध दीवानी वाद सं.-367/2020 दायर किया गया है, जो वर्त्तमान में सब जज, अररिया के न्यायालय में लंबित है। विपक्षी की ओर से इस अपील वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि प्रश्नगत जमीन सहित अन्य जमीन उभय पक्ष के पिता/दादा को सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। कागजातों में संदर्भित आपसी बंटवारा पंचनामा के अवलोकन से यह स्थापित हो रहा है कि उभय पक्ष को बराबर-बराबर मात्रा में जमीन का बंटवारा किया गया है। सुनवाई में विपक्षी की ओर से सब जज, अररिया के न्यायालय में प्रश्नगत जमीन के संदर्भ में दीवानी वाद सं.-367/2020 के लंबित होने का तथ्य अंकित किया गया है। जिसके जवाब में अपीलार्थी का कहना है कि उक्त दीवानी वाद किसी अन्य जमीन के संदर्भ में उनके

17.4.2026

पिता के द्वारा सब जज, अररिया के न्यायालय में दायर किया गया है। प्रश्नगत जमीन के जमाबंदी पंजी के अवलोकन से यह परिलक्षित हो रहा है कि खेसरा सं.-41/917 की 30 डी. जमाबंदी अपीलार्थी के पिता गुलाब चन्द महतो के नाम से दर्ज है। निम्न न्यायालय के स्तर से प्रश्नगत मामले को पक्षकार के दोषग्रसित होने के आलोक में खारिज करते हुए आदेश पारित किया गया है। जो यथोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः तदनुसार बी.एल.डी.आर. वाद संख्या- 01/2020-21 को निम्न न्यायालय को Remand back करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया को आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत मामले में उभय पक्ष की उपस्थिति में सुनवाई करते हुए Issue in question पर उभय पक्ष की ओर से उपस्थापित अभिकथन/साक्ष्य की विधिसम्मत विवेचना करते हुए सकारण आदेश से मामले का निस्तार 01 (एक) माह के अन्दर करना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

Raj K.
17/4/2026.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

लेखापित एवं शुद्धित।
Raj K.
17/4/2026.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त न्यायालय
पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया